न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः– राजेन्द्र सिंह शेखावत, आर०ए०एस०)

अपील संख्याः–226/2018/225आर.टी.एक्ट (2018/00226)

1. महेन्द्र सिंह पुत्र गणपत सिंह
2. सुरेन्द्र सिंह (गजेन्द्र सिंह) पुत्र गणपत सिंह
3. बजरंगसिंह पुत्र बाघसिंह

सभी जाति राजपूत, निवासीगण ग्राम रोडावास, तहसील किशनगढ़, जिला अजमेर

अपीलांट

वनाम

1. कानाराम पुत्र सूरजमल (मृतक) जरिये वारिसान–

1/1 चूकादेवी बेवा कानाराम

1/2 रतन पुत्र कानाराम

दोनो जाति गुर्जर निवासी ग्राम रोडावास तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर।

1/3 संतोष पुत्री कानाराम पत्नि सोराम जाति गुर्जर निवासी ग्राम रलावता किशनगढ जिला अजमेर।

1/4 किशनी पुत्री कानाराम पत्नि मेवाराम जाति गुर्जर निवासी ग्राम कल्याणीपुरा तहसील व जिला अजमेर।

1/5 वाली पुत्री कानाराम पत्नि सरदार जी जाति गुर्जर निवासी सरदरा कोरना, तहसील सांभर जिला जयपुर।

1/6 मंजू पुत्री कानाराम पत्नि जगमाल जाति गुर्जर निवासी भैरवाई तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर।

2. गांगीलाल पुत्र स्व. वन्ना जाति गुर्जर निवासी ग्राम रोडावास, तहसील किशनगढ़, जिला अजमेर।
3. कल्याण पुत्र स्व. वन्ना जाति गुर्जर निवासी ग्राम रोडावास, तहसील किशनगढ़ा, जिला अजमेर।
4. भीलवाड़ा अजमेर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जरिये प्रबंधक, शाखा कुचील, जिला अजमेर।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार किशनगढ़, जिला अजमेर।

रेस्पोडेल्टस

<u>अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध आदेश दिनांक 12.06.2018 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ़, द्वारा प्रार्थना– पत्र संख्या 12/14 बउनवानी कानाराम बनाम महेन्द्र सिंह.</u>

उपस्थितः–

1. श्री राकेश अरोड़ा, अभिभाषक अपीलांट ।
2. श्री रामदेव गुर्जर वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 1/1 से 1/6 व 2
3. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पो0 संख्या 5
4. रेस्पोडेन्ट संख्या 3 से 4 अनुपस्थित।

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

निर्णय

दिनांक:–30.08.2022

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ़ द्वारा प्रकरण संख्या 12/14 में पारित आदेश के विरूद्ध निर्णय दिनांक 12.06.2018 को इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ़ के समक्ष रेस्पो. सं. 1 व 2 द्वारा एक राजस्व वाद बाबत खातेदारी घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा हेतु विवादित आराजीयात खसरा संख्या 173/1 रकबा 12 बीघा 17 बिस्वा, 173/2 रकबा 2 बीघा कुल किता 2 बीघा रकबा 14 बीघा 17 बिस्वा वाकै ग्राम रोडावास तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उपरोक्त रेस्पो. सं. 1 व 2 के पूर्वज स्व. बाघसिंह पुत्र कल्याण सिंह द्वारा अपीलांट के पूर्वज से खरीद किया गया था जिसका नामांतरण उनके पक्ष में दिनांक 30.9.63 को किया गया था तब से उपरोक्त आराजीयात पर रेस्पो./ वादीगण के पूर्वज तत्पश्चात रेस्पो. काबिज काश्त चले आ रहे हैं। वादग्रस्त आराजीयात बाबत राजस्व अभिलेख में खरीद के आधार पर अंकन होने क उपरांत भी गलत रूप से अपीलांटस के नाम उपरोक्त आराजीयात का अंकन किया हुआ है अतः दुरूस्त कर खातेदारी घोषणा की डिक्री रेस्पो. प्राप्त करने के अधिकारी है। अतः रेस्पो. को वादग्रस्त आराजीयात का खातेदार घोषित किया जावे एवं वादीगण / रेस्पो. सं. 1 व 2 के कब्जे काश्त व हस्तक्षेप नहीं करने हेतु जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पावन्द फरमाया जाना न्यायोचित है। प्रस्तुत वाद पत्र के साथ के प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा इन्हीं कथनों पर प्रस्तुत कर निवेदन किया वाद–पत्र के निस्तारण तक मौके व रेकॉर्ड की यथास्थिति कायम रखा जाना न्यायोचित है। एक खातेदारान जिनके द्वारा स्वयं की आराजीयात बाबत किसी भी प्रकार का बेनामा कभी निष्पादित नहीं किया है उनके निहित हिस्से को उपयोग व उपभोग करने से महरूम करने बावत आक्षेपित निर्णय पारित कर प्रस्तुत अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना–पत्र को दिनांक 12.06.2018 को स्वीकार किया कर लिया गया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ़ के द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.06.2018 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। रेस्पोडेन्ट संख्या 02 बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं हुए।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 02/वादीगण का सम्पूर्ण आराजीयात से किसी प्रकार का सारोकार नही है। रेस्पोडेन्ट/वादीगण द्वारा एक मात्र अपंजीकृत अनस्टाम्प दस्तावेज के आधार पर स्वयं के पूर्वजों द्वारा उपरोक्त आराजीयात को खरीद करना वर्णित करते हुए राजस्व वाद प्रस्तुत किया गया है एवं उसके साथ प्रस्तुत अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना–पत्र में वादग्रस्त आराजीयात में स्वयं का कब्जा होना वर्णित करते हुए अस्थायी निषेधाज्ञा हेतु अनुतोष चाहा है जबकि अपीलांटस/प्रतिवादीगण के पूर्वजो का कोई विक्रय–पत्र निष्पादित नहीं किया गया है ना ही ऐसा कोई विक्रय–पत्र वाद–पत्र के साथ प्रस्तुत किया है। नामान्तरण संख्या 34 दिनांक 30.09.1993 पर भी

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

बाघ सिंह के फर्जी अमुल निवासी है। एकमात्र राजस्व कर्मचारियों से साठ–गांठ कर विधि विरुद्ध नामान्तकरण स्वीकार कराया गया है। उक्त नामान्तकरण संख्या 34 में 14 बीघा 14 बिस्वा आराजीयात का किस दिनांक को बेचान किया गया कहीं भी अंकन नहीं है। सन 1963 पर 15 बीघा कृषि भूमि को 06 रुपये 60 पैसे प्रति बीघा के हिसाब से बेनामा संभावित नहीं है। फर्जीकारी कथनों के आधार पर स्वयं के नाम कराये गये अंकन को राजस्व कर्मचारियों द्वारा दुरुस्त किया जाकर अपीलान्टस के पूर्वजों के नाम तत्पश्चात अपीलान्टस के नाम उक्त आराजीयात का अंकन किया गया है जिस बाबत किसी भी प्रकार अनुतोष अधिकृत दस्तावेज के आधार पर प्राप्त करने अधिकारी रेस्पोडेन्टस/वादीगण नहीं रहे है। इसके बावजूद फर्जीकारी रूप से प्रस्तुत वाद में प्रस्तुत अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना–पत्र पर विचारण न्यायालय द्वारा राजस्व अभियान के दौराने पत्रावली को नियत किया जाकर अपीलांट को बर्बाद किये जाने में त्रुटि कारित की गई है। वादग्रस्त आराजीयात पर बहैसियत खातेदार अपीलांटस का कब्जा होने से प्रथम दृष्टया प्रकरण अपीलांट के पक्ष में है तथा यदि वादग्रस्त आराजीयात से वाद के विचाराधीन रहते अपीलांटस को उनके खातेदारी अधिकारों से महरूम किये जाने बाबत् आक्षेपित आदेश को बहाल रखा जाता है तो तुलनात्मक अपूर्णीय क्षति अपीलांट को होना संभावित है। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पत्रावली को न्याय आपके द्वार शिविर लोक अदालत कैम्प कोर्ट मुकाम पीपलोद में ले जाया जाकर अपीलांटस की उपस्थिति दर्शायी जाकर एवं रेस्पोडेन्टस जो कि वादीगण रहे है कि अनुपस्थिति में प्रस्तुत अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने के आदेश पारित किये गये है जबकि राजस्व लोक अदालत के तहत् एक मात्र सहमति से ही निर्णय पारित किये जा सकते है। माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांटस स्वीकार फरमायी जाकर उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ़ के द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.06.2018 निरस्त फरमाया जावें तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 2/वादीगण द्वारा प्रस्तुत अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना–पत्र को निरस्त किये जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावे। अभिभाषक अपीलांट ने अपने समर्थन में आर.आर.टी. 2018–19(Supp.)पेज 395, आर.आर.टी. 2019(1)पेज 353 आर.बी.जे.(6) 1999 पेज 88, आर.बी.जे.(27)2020(1) पेज 517 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये है।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्यां 1/1 से 1/6, 02 ने दौराने जवाब/बहस अपील में निवेदन किया कि पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रकरण दिनांक 14.06.2018 में नियत थी तथा उसी की पत्रावली नियत दिनांक 12.06.2018 में नियत की गई थी तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कैम्प कोर्ट बाबत् पूर्व सूचना दी गई। प्रथमदृष्टया प्रकरण रेस्पोडेन्टस/प्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध है क्योंकि कृषि भूमि पैतृक है एवं रेस्पोडेन्टस/प्रार्थीगण के पूर्वज सूरजमल पुत्र सवाई की खातेदारी की भूमि है जिसमें रेस्पोडेन्टस/प्रार्थीगण के हित निहित है एवं कब्जा काश्त भी उनका ही है। धारा 209 आर.टी.एक्ट के तहत अनुतोष प्राप्त करने के प्रथम अधिकारी है एवं अपूर्तनीय क्षति का बिन्दु भी प्रार्थीगण के पक्ष में सर्व सिद्ध है चूंकि कि राजस्व रिकार्ड मे रेस्पोडेन्टस/अप्रार्थीगण का नाम इन्द्राज होने का गलत फायदा उठा कर बेचान कर देते है, तो प्रार्थीगण को अपार क्षति होगी। अपीलांटस की पुश्तैनी आराजीयात को सरंक्षित किया जाना न्यायहित

राजस्व अपील अधिकारी
अजमेर

में उचित है। माननीय राजस्व उच्च न्यायालय एवं माननीय राजस्व मण्डल द्वारा अपने अनेको निर्णयों में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया हुआ है कि यह न्याय का मूल मंत्र है कि विवाद वस्तु को विवाद के अंतिम निस्तारण तक सुरक्षित रखा जाना होता है एवं वाद–पत्र में वाद साक्ष्य व सुनवाई हक–हकूक तय किये जायेगें। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश विधि सम्मत है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नही है। माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांटस खारिज किये जाने के आदेश प्रदान करावें। अभिभाषक रेस्पोडेन्टस ने अपने समर्थन में 2021(2) डी.एन.जे. (रेवेन्यू) पेज 1054, आर.आर.टी. 2014(1)पेज 314, आर.आर.टी. जन.2001(1) पेज 49 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

6. विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष के द्वारा की गई बहस पर मनन किया गया एवं प्रकरण में गुणावगुण पर पत्रावली व प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रकरण दिनांक 14.06.2018 में नियत थी तथा उसी दिन पत्रावली को नियत दिनांक 12.06.2018 में न्याय आपके द्वार शिविर 2018 लोक अदालत कैम्प कोर्ट पंचायत मुख्यालय पींगलोद में नियत की गई थी। अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 14.06.2018 की आदेशिका में प्रार्थीगण की अनुपस्थिति में आदेश पारित किये है, यदि प्रार्थीगण उपस्थिति में होने पर प्रार्थना–पत्र को अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में ही खारिज की जा सकती है, किन्तु बिना अनुपस्थिति में प्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार किया गया है। प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय ने राजस्व लोक अदालत की भावना के विपरीत केवल मात्र प्रकरणों की संख्या बढ़ाने की दृष्टि से सरसरी तौर पर अति संक्षिप्त आदेश पारित कर पूर्व में जारी अस्थायी निषेधाज्ञा के आदेश को ताफैसला वाद पुख्ता किया है जिसमें न तो उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस का उल्लेख किया गया है ना ही प्रथम दृष्टया प्रकरण एवं सुविधा का सन्तुलन वादी/अप्रार्थी के पक्ष में किस प्रकार प्रमाणित है का उल्लेख किया गया है। उक्त के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय को निरस्त किया जाकर प्रकरण विचारण न्यायालय को निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

7. अतः अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा विद्वान उपखण्ड अधिकारी,रूपनगढ़ के द्वारा प्रकरण संख्या 12/2014 में पारित आदेश दिनांक 12.06.2018 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये जाते है कि वे अस्थायी निषेधाज्ञा के प्रकरण में उभयपक्षकारान को जवाब/सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए अस्थायी निषेधाज्ञा के तीनो मुख्य तत्वों क्रमशःप्रथम दृष्टया प्रकरण एवं सुविधा का सन्तुलन तथा अपूर्णीय क्षति का विस्तृत विवेचन करते हुए आदेश पुनः पारित करें। पक्षकारान को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 16.9.2022 को उपस्थिति होने हेतु पाबंद किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 30.08.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर